

जिला पंचायत कार्यालय

कृषि अनुभाग

दमण ।

सं.कृषिअनु./जि.प./दमण /कृ.प्र.कार्यक्रम/2014-15/59

दिनांक : 14/07/2014

निविदा सूचना / कोटेशन नोटिस

दमण एवं दीव, संघ प्रदेश कृषि अनुभाग, जिला पंचायत, दमण की ओर से किसान प्रवास / क्षेत्र निदर्शन आदि हेतु परिवहन सेवाएं निम्नानुसार आपूर्ति करने के लिए पंजीकृत परिवहन प्रचालकों से एतद्वारा मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :- विवरण संलग्न है ।

क्रम. सं.	विवरण	अंदाजीत मात्रा	EMDs राशि
1.	परिवहन सेवाएं प्रदान करना । 56 यात्रियों के बैठने की क्षमता युक्त बस सेवा ।	01	NIL
2.	6 यात्रियों के बैठने की क्षमता युक्त वैन/एल.यू.वी. ।	01	

निबंधन एवं शर्तें :-

- 1 रुचि रखनेवाले पक्षों को अपना प्रस्ताव / अपनी दर अपने पत्रशीर्ष या सादे कागज पर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर सहित प्रस्तुत करना चाहिए ।
- 2 दरों के अंतर्गत सभी कर / ईंधन/मार्ग आदि कर शामिल होने चाहिए तथा ये 31 मार्च, 2015 तक वैध होना चाहिए ।
- 3 रुचि रखनेवाले पक्षों के पास ऊपर उल्लेखित वाहनो उपलब्ध होने चाहिए और विभाग द्वारा एक सप्ताह की पूर्व सूचना पर कभी भी मांगे जाने पर आपूर्ति सह सेवा के लिए तैयार होने चाहिए । उक्त परिवहन सेवाएं/ वाहन 31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के दौरान एक या कई अवसरों पर मांगे जा सकते हैं ।
- 4 उक्त वाहन/सवारी उत्तम स्थिति के होने चाहिए तथा संबद्ध अधिनियमों / नियमों के प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए ।
- 5 परिवहन सेवाएं हेतु आपूर्ति किये जानेवाले वाहनों की संख्या में बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन हो सकता है ।
- 6 हरेक अवसर के बाद पूर्ण रूप से सेवाएं प्राप्त करने के बाद तथा संबन्धित प्राधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. दमण के संतुष्ट होने पर ही सीधा बैंक खाता में भुगतान किया जायेगा । किसी भी प्रकार का भूकतान आगे से नहीं किया जाएगा ।
- 7 उक्त निविदाएं इस कार्यालय में दिनांक :- 28/07/2014 को 12.00 बजे तक मुहरबंद लिफाफे में पहुँच जाना चाहिए और इन पर बड़े अक्षरों में "परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निविदा" लिखा होना चाहिए । इन्हें संभव होने पर निविदाकर्ताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, की उपस्थिति में उसी दिन मध्याह्न बाद 03.00 बजे खोला जायेगा ।
- 8 इस नोटिस की निबंधन एवं शर्तें तथा इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा आगे निर्धारित निबंधन एवं शर्तें भी रुचि रखनेवाले पक्षों को स्वीकार्य होगा । इस परियोजन के अलग से करार नहीं किया जायेगा ।
- 9 किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार या स्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. को सुरक्षित होगा ।
- 10 इस कार्य से संबंधित सभी विवाद संघ प्रदेश दमण एवं दीव में उचित न्यायालया / प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा ।

के.एस. चौहान

(के. एस. चौहान)

उप निदेशक (लेखा)/आ.स.अ.

जिला पंचायत, कृषि अनुभाग,

मोटी दमण ।

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, दमण ।
2. निजी सचिव,अध्यक्ष जिला पंचायत, दमण को सूचनार्थ ।
3. सभी कार्यालय/अनुभाग जिला पंचायत, दमण को व्यापक प्रचार के लिए अनुरोध सहित ।
4. जिला सूचनाविज्ञान अधिकारी,सचिवालय,दमण को सरकारी वेबसाईट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित ।
5. नोटिस बोर्ड / संबन्धित गार्ड फाइल ।